



पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY
मासिक राजपत्र
MONTHLY GAZETTE

मई / 2021

सं० No.05 }

May/2021

{ 2021

स्टेशन प्रबन्धक एवं संचलन कर्मचारी।

रेल परिवहन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की मेरुदण्ड है। अपनी शक्ति के साथ इसकी रक्षा करें।

(एस.सी.प्रसाद)

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक

रेल कर्मचारियों के लिये संदेश।

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19)

हम सब साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं।

(वाणिज्य विभाग का स्लोगन)

“खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित”

1. साबुन से बार-बार हाथ धोएं।
2. छींकते और खांसते समय अपना मुंह व नाक टिशू/रुमाल से ढकें। फेस मास्क का प्रयोग करें।
3. अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डाक्टर से सम्पर्क करें।

अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नं० +91-11-23978046 पर कॉल करें

या ई-मेल करें ncov2019@gmail.com

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

विषय-सूची

CONTENTS

मासिक राजपत्र संख्या-05 माह-05 सन् 2021

मद सं० Item No.	विषय Subject	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	कर्मचारियों के लिए आवश्यक सूचना	01
2.	पास पी.टी.ओ., ई.एफ.टी. तथा यू.टी.एस. टिकट तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातों के खो जाने की सूचना के सम्बन्ध में।	02

(1)

यह गजट मास के एक बार प्रकाशित तथा जारी किया जाता है।
इसमें रेलवे के सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए
आवश्यक सूचनायें रहती हैं।

आवश्यक है कि अधिकारीगण अपने से सम्बन्धित सभी नोटिसों व अनुदेशों का पालन करें तथा सभी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से सम्बन्धित आदेशों से अवगत कराने की व्यवस्था करें। इस गजट की प्रतियां सभी रनिंग शेडों तथा परिचालन वर्ग के विश्रामालयों में लगा दी जायेंगी। यह देखना तीसरे दर्जे के प्रवर कर्मचारियों का उत्तरदायित्व है कि उसके अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी इस गजट में दिये गये आदेशों से अवगत करा दिये जायें तथा शिक्षित कर्मचारियों के हस्ताक्षर उनके सम्बन्धित विषयों के सामने करा लिये जायें।

इस गजट में जो सूचनायें प्रकाशित कराई जानी हो, वे प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/गजट, गोरखपुर के पास अधिक से अधिक माह के दूसरी तथा सत्रहवीं तिथि तक पहुँच जानी चाहिए। सूचनायें दो प्रति में टाइप की हुई जानी चाहिए तथा उनका स्वरूप ठीक उसी प्रकार का होना चाहिए जिसमें उन्हें गजट में प्रकाशित करवाना हो। सूचनाओं पर महाप्रबन्धक, विभागाध्यक्ष अथवा उप महाप्रबन्धक के हस्ताक्षर होंगे और नीचे उनके पद-संज्ञा दी जायेगी तथा उसमें यह स्पष्ट किया जायेगा कि सूचनायें उनके प्राधिकार से जारी की गई हैं। विभागाध्यक्षों के लिए उप-विभागाध्यक्ष हस्ताक्षर कर सकते हैं।

**This Gazette is published and issued monthly and
contains information essential for the staff of all
departments of the Railway.**

Officers will act upon any notices and instruction concerning them and will arrange for all staff to be made acquainted with orders related to their duties. Copies of this Gazette will be posted up at all Running Sheds and Running Rooms. Senior Class III officials are responsible for seeing that staff under them are made acquainted with orders contained herein and that the signatures of literate staff are obtained against items which concern them.

Notices for insertion in this Gazette must reach the Principal Chief Commercial Manager (Gazette), Gorakhpur not later than the 2nd and 17th of the month Notice must be typewritten, in duplicate and framed in the exact form in which it is required to appear in the Gazette. Notice will bear the signature of the General Manager, Head of Department or the Deputy General Manager with their Designation below, signifying that they have been issued with their authority. Deputies may sign for Heads of Department.

(2)

माह मई / 2021 का पास ,पीटीओ एवं ईएफटी तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजों का खो जाने की सूचना। इसका जाली उपयोग न हो सके, इसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी आवश्यक कार्यवाही करें।

क्र० सं०	राज्य सभा के सांसद सदस्यों और पूर्व संसद सदस्यों के नाम	पूर्व संसद सदस्य का कार्ड नं०	जारी करने की तिथि और वर्ष	निधन की तिथि	विभाग	संदर्भ
1	श्री चौधरी अजीत सिंह, पूर्व संसद सदस्य	5455	26.06.2014	06.05.2021	लोक सभा	सं०-2021/टीजी-1/20/पी/आई कार्ड्स दिनांक 20.05.2021
2	श्री भरत भूषण, एएसआई/आरपीएफ रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली	022048 (सुविधा पास)	05.03.2021	—	—	सं०-2021/जी (पास)/लास दिनांक 27.05.2021
3	श्री संदीप श्रीवास्तव, सीटीआई/लखनऊ	(*) जारी ईएफटी सं० 391851-391900 जिसमें से 391851 से 391885 तक प्रयोग तथा 391886 से 391900 अप्रयुक्त/गायब जिसे रेलवे वेबसाइट WWW.ner.indianrailways.gov.in पर अपलोड किया जा चुका है। शुद्धि-पत्र लखनऊ मण्डल तारांकित के स्थान पर जारी ईएफटी सं० 391851-391900 जिसमें से 391851 से 391865 तक प्रयोग तथा 391866 से 391900 अप्रयुक्त/गायब पढ़ा जाय।		सं०-सी/442/Loos/EFT/SS/CTI/LJN/2021 Dt. 25.05.2021		